भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2489
15.12.2025 को उत्तर के लिए

मोरों द्वारा फसल को नुकसान

2489. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मोर किसानों की फसलों और खाद्यान्नों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं;
(ख) वन्यजीव विभाग द्वारा कृषि क्षेत्रों में मोरों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार मोरों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है;
(घ) तमिलनाडु राज्य में, विशेषकर इरोड, करूर, नमक्कल, कोयंबटूर, सलेम, कृष्णगिरी जिलों में और क्या सरकार का मोरों से हुई क्षति का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों से ब्यौरा लेने का विचार है, विशेषकर तमिलनाडु में इरोड, करूर, नमक्कल, कोयम्बटूर, सेलम, कृष्णागिरी जिलों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) देश के विभिन्न हिस्सों से समय-समय पर वन्यजीवों के कारण फसल के नुकसान की घटनाओं की रिपोर्ट पर आती रहती हैं। तथापि, मानव-पशु संघर्षों के उपशमन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में प्रमुख जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मंत्रालय के स्तर पर एकत्र नहीं की जाती है।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और इनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीवों के पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय

सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत जंगली जानवरों के फसल के खेतों में प्रवेश को रोकने के लिए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, कांटेदार तारों की बाड़, सौर, इलेक्ट्रिक आधारित बाड़, जैव-बाड़, सीमा पर दीवार आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और संस्थापना मवेशियों की चोरी सहित जंगली जानवरों द्वारा नुकसान के लिए मुआवजा, फसल क्षति, जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोकने हेतु विशिष्ट कार्यकलापों में शामिल है।

तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में मोरों की मौजूदगी दर्ज की गई है। मोरों से कृषि क्षेत्र में कुछ स्तर पर फसलों को नुकसान होता है; तथापि, वे चूहे, कीड़े मकोड़े, कृमि आदि को खाकर किसानों और उनकी फसलों को लाभान्वित भी करते हैं। तमिलनाडु वन विभाग द्वारा सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एसएसीओएन) के माध्यम से तमिलनाडु के चयनित स्थानों में मोरों की आबादी, मोरों द्वारा फसल के नुकसान का आकंलन, मानव-मोर का संघर्ष और फसल के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार हेतु वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, जनता और किसानों से जानकारी प्राप्त होने पर, नुकसान का आकलन करने और मुआवजे के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में वन क्षेत्राधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

*****